केस स्टडी-14/2025

जारी तिथि : 11.04.2025

SPAD

घटनाक्रम: दिनांक 18.03.25 को दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के बिलासपुर मण्डल में ट्रेन नं.: 18257 (बिलासपुर- चिरमिरी एक्सप्रेस), लोको नं 37741/WAP-7/SPJ, लोड: 10 कोच, गाड़ी का लोको अनुपपुर (APR) में रिवेर्स होकर दुसरे एंड में शंटर द्वारा लगाया गया। लोको पायलट ने अनुपपुर से गाड़ी स्टार्ट की, स्टार्ट होने का समय 04:09:52 बजे, कर्मीदल ने **S-32 स्टार्टर सिग्नल (RHS)** को 04:10:59 बजे, गति 13 Kmph से **"ऑन"** स्थिति में पार किया और गाड़ी 123.5 मीटर बाद खड़ी हुई। गाडी को 04:21:39 बजे स्टार्टर के भीतर वापस बैक किया गया। गाड़ी लाइन नंबर 3 से स्टार्ट हुई जिसका स्टार्टर सिग्नल दाईं ओर था तथा लाइन नं. 2 का स्टार्टर सिग्नल भी दाईं ओर था। इस प्रकार, लाइन नं. 2 का स्टार्टर सिग्नल लाइन नं. 3 के सापेक्ष बाईं ओर है। बाएं हाथ की ओर स्टार्टर सिग्नल की परंपरा के अनुसार LP व ALP को लाइन नं. 2 के स्टार्टर सिग्नल के हरे पहलू को देखकर गुमराह होकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। ALP ने VHF सेट पर ट्रेन 18257 के लिए प्रस्थान सिग्नल के बारे में TM को सूचित किया लेकिन TM ने यात्री ट्रेन के लिए प्रस्थान सिग्नल की भौतिक सत्यापन के बिना VHF पर पुष्टि कर दी।

संभावित कारण :

- ❖ कर्मीदल की यार्ड की लर्निंग सही न होना।
- ❖ कर्मीदल द्वारा अनुपपुर (APR) स्टेशन/यार्ड का ले-आउट का ड्राइंग न बनाना।
- ❖ कर्मीदल ने समानांतर लाइन का स्टार्टर सिग्नल (लाइन नं. 2) को अपना समझ लेना, जो किसी अन्य ट्रेन के लिए दिया गया था।

18257 started from

उपरोक्त घटना से सबक :-

- ✓ रोड लर्निंग सही तरीके से लें व अपनी लाइन के सिग्नलो के लोकेशन के प्रति जागरूक रहें।
- ✓ LP/ALP कार्य करने से पहले पूर्ण विश्राम (घर और रनिंग रूम) लें।
- ✓ गाड़ी संचलन के दौरान अन्य किसी कार्य में व्यस्त ना हो एवं पूरा ध्यान सिग्नल संकेत पर रखें।
- ✓ सिगनलो के संकेतो का कड़ाई से पालन करें व गाड़ी कार्य के दौरान हमेशा सतर्क रहें।
- ✓ LP/ALP को हाथों के इशारों से ज़ोर से सिग्नल के संकेतों को पुकारना चाहिए, जैसे हरा संकेत-1 बार, डबल पीला-2 बार, एक पीला-3 बार व लाल-4 बार।
- ✓ कार्य के दौरान गाड़ी कण्ट्रोल करने में अति आत्मविश्वास ही SPAD का कारण बनता है।

(निखिल सिंह)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर

नोट: केस स्टडी केवल कर्मीदल को काउन्सलिंग देने के उद्देश्य से तैयार की गई है, इसे काउन्सलिंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।